निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 43/2011
दायरा दिनांकः—31.03.2011
निर्णय दिनांकः— 25.02.2025

उनवान

1. गेंदीलाल पुत्र लालजीराम लोधा निवासी खेडखेडाभूरा तहसील छबडा— मृतक
1/1 मेघराज पुत्र गेंदीलाल लोधा
1/2 रामसिंह पुत्र गेंदीलाल लोधा
1/3 रामचन्द्र पुत्र गेंदीलाल लोधा
1/4 मांगीबाई पुत्री पुत्र गेंदीलाल लोधा
1/5 बरफीबाई पत्नी स्व. गेंदीलाल लोधा ग्राम खेडखेडाभूरा तहसील छबडा जिला बारां राज.

.....वादीगण

वनाम

1. जगन्नाथ पुत्र लालजीराम लोधा निवासी खेडखेडाभूरा — मृतक
1/1 पृथ्वीराज पुत्र जगन्नाथ लोधा
1/2 इमरतलाल पुत्र जगन्नाथ लोधा
1/3 कल्याण पुत्र जगन्नाथ लोधा
1/4 सुमंत्राबाई पुत्री जगन्नाथ लोधा
1/5 पानाबाई पुत्री जगन्नाथ लोधा
1/6 कलाबाई पत्नी स्व. जगन्नाथ लोधा निवासीगण ग्राम खेरखेडा भूरा तहसील छबडा जिला बारां।
2. दीपक पुत्र श्रीलाल लोधा निवासी दोराना म.प्र.
3. अर्जुर पुत्र श्रीलाल लोधा निवासी दोराना म.प्र.
4. कोमलबाई बेवा श्रीलाल लोधा निवासी दोराना तहसील राघोगढ म.प्र.
5. शंकरलाल पुत्र राजाराम लोधा निवासी जयपुर राज.
6. राजथान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 25.02.2025
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री चिरोंजी लाल भार्गव — वादी
2. श्री दीपक वर्मा
3. श्री हेमराज राठोड — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 132 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा, .खसरा नंबर 309 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नंबर 335 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा कुल तीन किता रकबा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

11 बीघा 14 बिस्वा बाके माल खेरखेड़ाभूरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। विवादग्रस्त भूमि का इंतकाल नंबर 214 दिनांक 13.05.2008 के माध्यम से बंटवारा करते हुए प्रतिवादी कम 5 के हिस्से में खसरा नंबर 132/2 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 309/2 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 335/2 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा एवं प्रतिवादी कम 2, 3 व 4 के हिस्से में खसरा नंबर 132 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 309 रकबा 14 बिस्वा, खसरा, नंबर 335 रकबा ०1 बीघा 12 बिस्वा एवं प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में भूमि खसरा नंबर 132/1 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 309/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 335/1 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि आई है। जबकि वादी प्रतिवादी कम 1 जगन्नाथ का सगा भाई है, जो उक्त भूमियात में प्रतिवादी क्रम 1 के बराबर 1/6 हिस्से का हकदार है। उक्त भूभियात को वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। विवादग्रस्त भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के (भवाना) खातेदारी एवं कब्जे काशत की है। मौके पर वादी तथा प्रतिवादी के मध्य वर्षों पूर्व से पारिवारिक बंटवारा हो रहा है। जिसके अनुसार प्रत्येक खातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परंतु वर्तमान में वादी के हिस्से की भूमि का अधिक उपजाउपन देखकर प्रतिवादी कम 1 के मन में बदनियती आ गई है तथा वह वादी को उसके हिस्से व कब्जे काशत की भूमि पर से जबरन लठ के बल पर कब्जा कर जबरन बेदखल करने पर उतारू है। शंकरलाल पुत्र राजाराम का हिस्सा 1/3 दीपक, अर्जुन, कोमलबाई हिस्सा 1/3 व जगन्नाथ पुत्र लालजीराम हिस्सा 1/3 दर्ज किया हुआ है। जबकि जगन्नाथ व गेंदीलाल सगे भाई हैं तथा लालजीराम के पुत्र होने से दोनों का हिस्सा 1/6–1/6 दर्ज होना चाहिए था। जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज होने से रह गया है। जिसे इंद्राज दुरूस्त कर दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी तथा प्रतिवादी कम 1 के मौके पर बंटवारा होकर अलग–अलग मेडे डली हुई है। लेकिन प्रतिवादी कम 1 ने दिनांक 25.3.2011 को धमकी दी है कि वह वादी के हिस्से की भूमि को जबरन हांककर कब्जा करके रहेगा। इस पर वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकलें ली तो उसे राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी हुई। जिसे वादी दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी कम 1 वादी के हिस्से व कब्जे कास्त की भूमि पर जबरन लट के बल पर कब्जा करना चाहता है। जिसका उसे कोई वैधानिक अधिकार प्रात नहीं है। प्रतिवादी अपने उक्त अवैधानिक कृत्य में सफल हो गया तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकेगी तथा वादी को अनैकानेक दावों उलझना पडेगा। वाद कारण दिनांक 25.03.2011 को उत्पन्न हुआ। जब प्रतिवादी कम 1 ने वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर से जबरन लठ के बल पर कब्जा करने और उसकी फसल नष्ट करने की धमकी दी। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर जवाब पेश हुआ। जवाब में कथन किया कि वादी का वाद मियाद बाहर है। वादी ने भवाना के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाने से वाद खारिज योग्य है। क्योंकि वादी भवाना की वंशावली से हक चाहता

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

है। गेंदीलाल, राजाराम के गोद गया था वादी लालजीराम की सम्पत्ति मे कोई हक नही है। शंकरलाल राजाराम की सन्तान नहीं होकर शंकरलाल की माता पारा के नाते वाले पति अर्जुन की सन्तान है। शंकरलाल व गेंदीलाल ने मिलभगत करके मुझ प्रतिवादी पर दावा कर भूमि छुडाने की साजिश की है वाद पत्र मे दत्तक जाने व वैध सन्तान होने तथा विरासत वारिसान उत्तराधिकार सम्बन्धी तथ्यों का विनिश्चय होना है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है। विवादित आराजी पर सन 1962 से प्रतिवादी का कब्जा काश्त आज तक निरन्तर चला आ रहा है। मेरे परिवार का भरण पोषण का एक मात्र यह भूमि ही है वादी गोद पुत्र जाने से पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई। ::–

तनकी नम्बर 1 :– आया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त ख.नं. 132 रकबा 4.15 बीघा, ख.नं. 309 रकबा 2.02 बीघा, ख.नं. 335 रकबा 4.17 बीघा कुल किता 3 रकबा 11.14 बीघा माल खेरखेडाभूरा तह. छबडा मे स्थित है। इन्तकाल नं. 214 दिनांक 13.05.2008 के माध्यम से बंटवारा करते हुए वाद पत्र की मद नं. 2 मे वर्णित अनुसार आराजी खाते दर्ज हुई। वादी

तनकी नम्बर 2 :– आया कि उक्त भूमि में वादी, प्रतिवादी नं. 1 जगन्नाथ के सगे भाई है वाद पत्र के मद नं. 3 में वर्णित अनुसार सजरा है। वादी 1/6 हिस्से की खातेदार कृषक घोषित कराने की पात्रता रखता है। वादी

तनकी नम्बर 3 :– आया कि राजाराम के गंदीलाल गोद गया था इसलिए लालजी राम की सम्पति में वादी का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी

तनकी नम्बर 4 :– आया कि शंकरलाल, राजाराम की सन्तान नही होकर शंकरलाल की माता पारा के नाते वाले पति अर्जुन की सन्तान है और वादी ने शंकर लाल व गेन्दीलाल ने मिली भगत कर भूमि छुडाने हेतु वाद पेश किया है। जो खारिज योग्य है। प्रतिवादी

वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम खेरखेडा भूरा सम्वत 2064–67 खाता सं. 43, नकल जमाबंदी ग्राम खेरखेडा भूरा सम्वत 2035–38 खाता सं. 65, सरपंच ग्राम पंचायत कडैयाहाट का प्रमाण पत्र दिनांक 29.03.2011, फोटो पहचान पत्र गंदीलाल, परिवार राशन कार्ड, नकल जमाबदी हास्याखेडी सम्वत 2029–32 नकल जमाबंदी ग्राम खेरखेडा भूरा सम्वत 207–30, नकल नामान्तरण संख्या 214 ग्राम खेरखेडा भूरा, नकल विक्रय पत्र दिनांक 26.07.2011 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 मेघराज के बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल नामान्तरण सं. 6 ग्राम हास्याखेडी, नकल वाद पत्र शंकरलाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बनाम दीपक वगै. पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 हरिराम, DW2 कल्याणसिंह के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडाभूरा तह. छबडा में स्थित है। विवादित भूमि का बंटवारा किया गया जिसका नामान्तरण नं. 214 दिनांक 13.05.2008 तस्दीक किया गया। जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के मध्य अलग–अलग हिस्सा किया गया। वादी, प्रतिवादी क्रम 1 जगन्नाथ का सगा भाई है जो उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 के बराबर 1/6 हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। मौके पर विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य वर्षो पूर्व पारिवारिक बंटवारा हो रहा है। पारिवारिक बटवारे के आधार पर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है वादी की भूमि अधिक उपजाउ देख कर प्रतिवादी क्रम 1 मन मे बदनियती आ गई। वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि मे जबरन कब्जा कर जबरन बेदखल करने पर आमादा है। विवादित आराजी मे जगन्नाथ पुत्र लालजीराम का हिस्सा 1/3 दर्ज किया हुआ है जगन्नाथ व गेंदीलाल सगे भाई है। तथा लालजी राम के पुत्र होने से दोनो का हिस्सा 1/6–1/6 दर्ज होना था। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मौके पर बटवारा होकर मेड डली हुई है। वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी का वाद मियाद बाहर है। वादी ने भवाना के सभी वारिसान को पक्षकार नही बनाने से वाद खारिज योग्य है। क्योंकि वादी भवाना की वंशावली से हक चाहता है। गेंदीलाल, राजाराम के गोद गया था वादी लालजीराम की सम्पत्ति मे कोई हक नही है। शंकरलाल राजाराम की सन्तान नहीं होकर शंकरलाल की माता पारा के नाते वाले पति अर्जुन की सन्तान है। शंकरलाल व गेंदीलाल ने मिलभगत करके मुझ प्रतिवादी पर दावा कर भूमि छुडाने की साजिश की है वाद पत्र मे दत्तक जाने व वैध सन्तान होने तथा विरासत वारिसान उत्तराधिकार सम्बन्धी तथ्यों का विनिश्चय होना है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय को है। विवादित आराजी पर सन 1962 से प्रतिवादी का कब्जा काश्त आज तक निरन्तर चला आ रहा है। मेरे परिवार का भरण पोषण का एक मात्र यह भूमि ही है वादी गोद पुत्र जाने से पिता की सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है–

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा भूरा सम्वत 2064 से 2067 खाता संख्या 43 के अनुसार दीपक, अर्जुन सिंह पुत्र श्रीलाल, कोमलबाई बेवा श्रीलाल हिस्सा 1/3

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जगन्नाथ पुत्र लालजी हिस्सा 1/3 गेंदीलाल आत्मज राजाराम हिस्सा 1/3 कोम लोधा साकिन देह दर्ज है। जमाबंदी के कॉलम संख्या 11–13 मे नामान्तरण नं. 214 न्यायालय आदेश दिनांक 13.05.2008 से शंकरलाल पुत्र राजाराम लोधा को 3.18 बीघा दीपक, अर्जुन पुत्र श्रीलाल, कोमलबाई बेवा श्रीलाल लोधा को 3.18 बीघा , एव जगन्नाथ पुत्र लालजी कोम लोधा को 3.18 बीघा खाता विभाजन का नोट अंकित है। नकल जमाबंदी ग्राम खेरखेडा भूरा सम्वत 2035–38 खाता संख्या 65 मे श्रीलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/3 जगन्नाथ पुत्र लालजी हिस्सा 1/3 गेंदीलाल पुत्र राजाराम हिस्सा 1/3 दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत कडैयाहाट द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 29.03.2011 के अनुसार गेंदीलाल पुत्र लालजीराम जाति लोधा ग्राम खेरखेडाभूरा का होना बताया हें। गेंदीलाल के पिता का नाम लालजीराम होना बताया। मतदाता फोटो पहचान पत्र मे गेंदीलाल पुत्र लालजीराम एवं परिवार राशनकार्ड मे गेंदीलाल पुत्र लालजीराम अंकित है। इससे यह साबित होता हे कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे गेंदीलाल पुत्र राजाराम हिस्सा 1/3 दर्ज था परंतु न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2008 से शंकरलाल पुत्र राजाराम का 1/3 हिस्सा खाता विभाजन होकर नाम दर्ज किया गया तथा वादी का नाम खाते से खारिज किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्यो से विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किया जाना, कथन साबित नहीं है, प्रस्तुत जमाबंदी में वादी खातेदार नहीं है। इस प्रकार वादी विवादित आराजी को शामलाती कब्जे काश्त में होना साबित करने में विफल रहा है। इसलिए यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी, सरपंच कडैयाहाट के प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड से यह साबित होता हे कि गेंदीलाल लालजीराम का पुत्र है। बयान DW1 कल्याणसिह पुत्र जगन्नाथ जाति लोधा ने अपने बयानों की जिरह में बताया कि लालजी राम के दो लडके गेन्दीलाल व जगन्नाथ हुए इससे यह साबित होता है कि लालजीराम के दो लडके थे एवं वादी गेन्दीलाल व प्रतिवादी नं. 1 जगन्नाथ सगे भाई थे। नामान्तरण संख्या 6 दिनांक 04.09.1962 के कॉलम संख्या 9 में भवरिया वल्द भवाना जगन्नाथ वल्द लालजी, गेन्दया मुतबन्ना राजाराम, दर्ज है। जिससे साबित होता है कि गेन्दया राजाराम के गोद गया था तथा गोद पुत्र के आधार पर गेंदया/गेंदीलाल को राजाराम की भूमि में खातेदारी अधिकार दिए गए थे। अतः गोद पुत्र होने से वादी अपने पिता की सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। यह भी विचारणीय है कि वाद संख्या 211/05 उनवान शंकरलाल बनाम दीपक वगै. के माध्यम से शंकरलाल के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा किया गया है। जिसके निर्णय दिनांक 13.05.2008 की वादी गेंदीलाल द्वारा अपील नहीं कर, जगन्नाथ की भूमि में खातेदारी अधिकारों के लिए घोषणा का दावा पेश किया गया है। बयान DW1 कल्याणसिह पुत्र जगन्नाथ एवं नामान्तरण संख्या 6 दिनांक 04.09.1962 से वादी राजाराम के गोद जाना साबित होता है। गोद पुत्र होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वादी अपने पिता की संपति में अधिकार प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। इसलिए यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। नकल जमाबन्दी ग्राम हास्याखेडी सम्वत् 2029–32 के अनुसार भंवरिया वल्द भवाना जगन्नाथ वल्द लालजी, गेन्दया मुतबन्ना राजाराम कोम लोधा सा0 देह दर्ज रिकार्ड हे। नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा भूरा सम्वत् 2027–30 के अनुसार भंवरिया पुत्र भवाना हिस्सा 1/3 जगन्नाथ पुत्र लालजी हिस्सा 1/3 गेन्दीलाल मुत0 राजाराम हिस्सा 1/3 कोम लोधा सा0देह दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरण संख्या 6 दिनांक 04.09.1962 (प्रदर्श D1) के कॉलम संख्या 9 में भवरिया वल्द भवाना जगन्नाथ वल्द लालजी, गेन्दया मुतबन्ना राजाराम, दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि वादी राजाराम के गोद गया था उसके खाते की आराजी राजाराम के फोत होने के बाद गेन्दीलाल वादी के खातेदारी में दर्ज हुई। अतः गोद पुत्र होने से वादी अपने पिता की सम्पत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हास्याखेडी सम्वत् 2029–32 एवं ग्राम खेरखेडा भूरा की जमाबन्दी सम्वत् 2027–30 से यह साबित होता है कि राजाराम के कोई सन्तान नही थी राजाराम ने गेन्दीलाल को गोद रखा इसलिए राजाराम के खाते की भूमि गेन्दीलाल के खाते दर्ज हुई। बयान DW1 हरिराम ने अपनी जिरह में बताया कि *"लालजीराम के दो लडके थे गेन्दीलाल ओर जगन्नाथ। लालजीराम के खाते की जमीन दोनो लडको मे बराबर नही बटी लालजीराम की जमीने दो हिस्से में इसलिए नही बटनी चाहियें थी क्योंकि गेन्दीलाल राजाराम के गोद गया था। मेने शंकरलाल, मैं छोटा था जब देखा था। जो एक औरत के साथ आया था अब पता नही शंकरलाल कहां रहता है।"* वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष पर इस तनकी का प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रभाव नहीं पडता है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतो से यह तनकी साबित नही है। इसलिए यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के निस्तारण से यह स्पष्ट है कि वादी गेन्दीलाल राजाराम के गोद गया था। नामान्तरण संख्या 6 दिनांक 04.09.1962 (प्रदर्श D1) के अनुसार भवाना के वारिसान में भवरिया वल्द भवाना जगन्नाथ वल्द लालजी, गेन्दया मुतबन्ना राजाराम के हिस्सा 1/3–1/3 है। राजाराम की भूमि में गेन्दीलाल का नाम था। राजाराम की भूमि में न्यायालय आदेश से शंकरलाल का नाम दर्ज हुआ है। उक्त वाद पत्र में गेन्दीलाल पक्षकार होने के बावजूद गेन्दीलाल द्वारा न्यायालय निर्णय की अपील नही की है। बल्कि अलग से नया वाद प्रस्तुत किया गया है। जो उचित नही है। गेंदीलाल, राजाराम के गोद जाना साबित है। इसलिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत वादी अपने पिता की पैतृक संपति में हिस्सा लेने की पात्रता नही रखता है। अतः वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 43/2011	धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 25.02.2025
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति अभिभाषकवादी:–श्री चिरोंजी लाल भार्गव वादी		अभिभाषक प्रतिवादी– श्री दीपक शर्मा, श्री हेमराज राठौ

वाद शीर्षक

उनवान

1. गेंदीलाल पुत्र लालजीराम लोधा निवासी खेडखेडाभूरा तहसील छबडा– मृतक
1/1 मेघराज पुत्र गेंदीलाल लोधा
1/2 रामसिंह पुत्र गेंदीलाल लोधा
1/3 रामचन्द्र पुत्र गेंदीलाल लोधा
1/4 मांगीबाई पुत्री पुत्र गेंदीलाल लोधा
1/5 बरफीबाई पत्नी स्व. गेंदीलाल लोधा ग्राम खेडखेडाभूरा तहसील छबडा जिला बारां राज. ....वादीगण

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र लालजीराम लोधा निवासी खेडखेडाभूरा – मृतक
1/1 पृथ्वीराज पुत्र जगन्नाथ लोधा
1/2 इमरतलाल पुत्र जगन्नाथ लोधा
1/3 कल्याण पुत्र जगन्नाथ लोधा
1/4 सुमंत्राबाई पुत्री जगन्नाथ लोधा
1/5 पानाबाई पुत्री जगन्नाथ लोधा
1/6 कलाबाई पत्नी स्व. जगन्नाथ लोधा निवासीगण ग्राम खेरखेडा भूरा तहसील छबडा जिला बारां।
2. दीपक पुत्र श्रीलाल लोधा निवासी दोराना म.प्र.
3. अर्जुर पुत्र श्रीलाल लोधा निवासी दोराना म.प्र.
4. कोमलबाई बेवा श्रीलाल लोधा निवासी दोराना तहसील राघोगढ म.प्र.
5. शंकरलाल पुत्र राजाराम लोधा निवासी जयपुर राज.
6. राजथान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.2.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

क्र.सं.	[illegible]	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	[illegible]/लिखित कथन		
2.	[illegible] (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	[illegible] (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		